

प्रेसनोट दिनांक 23.08.2023

1. दिनांक 22.08.2023 को वादी उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सियाराम पुत्र सालिकराम नि० वजीरगंज थाना को०नगर अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 541/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 22.08.2023 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बुधरा उर्फ मुल्हरा पत्नी टिरू नि० रायपट्टी थाना खण्डासा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 162/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 22.08.2023 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शान्ति पत्नी समोराज नि० रायपट्टी थाना खण्डासा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 163/23 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 22.08.2023 को वादी उ०नि० श्री शैलेश कुमार त्रिवेदी थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० मुख्तार उर्फ गुड्डू पुत्र मो० इब्राहिम नि० खण्डासा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 1130 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 166/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 22.08.2023 को वादी उ०नि० श्री कमलेश सरोज थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप पुत्र बाबूलाल नि० पटरंगा थाना पटरंगा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 181/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।